प्रेस नोट दिनाँक-23.08.2020

(1). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अवैध शराब निर्माण एवं बिक्री की रोकथाम हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में चित्रकूट पुलिस ने 04 अभियुक्तों से 30 लीटर कच्ची शराब बरामद की।

(i). वरि0उ0नि0 श्री श्याम सुंदर यादव थाना राजापुर तथा उनकी टीम द्वारा अभियुक्त फूलचंद सोनकर पुत्र संतराम सोनकर निवासी हनुमानगंज कस्बा व थाना राजापुर को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगीः-

10 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. वरि0उ0नि0 श्री श्याम सुंदर यादव थाना राजापुर
2. आरक्षी राहुल पांडेय

(ii). उ0नि0 श्री दिनेश चंद्र तिवारी थाना भरतकूप तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त अनुरुद्ध प्रजापति उर्फ कल्लू पुत्र बद्री प्रसाद निवासी बरुई थाना भरतकूप जनपद चित्रकूट को 10 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगीः-

10 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री दिनेश चंद्र तिवारी थाना भरतकूप
2. आरक्षी विजय

(iii). उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना मऊ तथा उनके हमराही द्वारा अभियुक्त जमुना पुत्र तीरथ कॉल निवासी खंडेला थाना मऊ को 5 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया।

बरामदगीः-

05 लीटर कच्ची शराब

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री दुर्गेश कुमार थाना मऊ
2. आरक्षी अरविंद कुमार साहनी
3. आरक्षी इंदल

(iv). आरक्षी अमित चौरसिया तथा आरक्षी हृदेश कुमार भारती थाना मऊ द्वारा अभियुक्त राजबहादुर पुत्र छोटेलाल निवासी कस्बा व थाना मऊ जनपद चित्रकूट को 05 लीटर कच्ची शराब के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना मऊ में मु0अ0सं0 181/2020 धारा 60 आबकारी अधिनियम पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

05 लीटर कच्ची शराब

बरामदगी करने वाली टीमः-

1. आरक्षी अमित चौरसिया थाना मऊ
2. आरक्षी हृदेश कुमार भारती

(2). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराधियों के विरूद्ध की जा रही कार्रवाई के क्रम में श्री कृष्ण कुमार मिश्रा प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर द्वारा भोली-भाली जनता में भय आतंक पैदा कर गुंडागर्दी करने वाले अभियुक्त (1) सुनील पाठक पुत्र शिवचरण निवासी बाल्मिकी नगर कस्बा व थाना मानिकपुर एवं (2) संदीप उर्फ खली पुत्र झाली निवासी नगर थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट के विरुद्ध धारा 03 यूपी गुंडा एक्ट की कार्यवाही की गयी।

(3). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में कोविड-19 से बचाव हेतु चलाये जा रहे जागरुकता एवं चैकिंग अभियान में दिनाँक 22.08.2020 को जनपद चित्रकूट के समस्त थाना क्षेत्रों में कोरोना वायरस के सम्बन्ध में शासन द्वारा जारी गाइडलाइन एवं आदेश-निर्देशों के उल्लंघन एवं मास्क न लगाने पर थाना कोतवाली कर्वी में 13 व्यक्तियों विरूद्ध, थाना रैपुरा में 08 व्यकियों के विरुद्ध तथा थाना पहाड़ी में 05 व्यकियों के विरुद्ध धारा 188 भादवि0 के तहत अभियोग पंजीकृत कर किये गये। सभी से अपील की जाती है कि शासन के आदेशों निर्देशों का पालन करें।

(4). पीआरवी अपने पॉइंट देऊन्धा में खड़ी थी तभी अचानक एक तेज रफ्तार मोटरसाइकिल वाले ने अपने घर के पास खड़े शिवलाल केसरवानी की बाइक पर जोरदार टक्कर मारी जिससे दोनों बाइक वाले गंभीर रूप से घायल हो गए पीआरवी 4420 द्वारा तत्काल मौके पर पहुंच कर फील्ड इवेंट बनाया गया। मौके पर तीन लोग गंभीर रूप से घायल हो गये है। घायल शिवलाल को उसके परिजन अपने निजी साधन से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र रामनगर ले गये। पीआरवी कर्मियों ने देखा कि एक घायल व्यक्ति के सर और मुह से खून निकल रहा था पीआरवी कर्मियों ने घायल के सर पर कपड़ा बांधा जिससे खून बहना रुक गया और दोनों घायलो को एम्बुलेंस की मदद से सामुदायिक स्वास्थय केन्द्र रामनगर में भर्ती कराया गया। घायलो के घरवालों को भी सूचना दी गई। घटना के संबंध में थाना पुलिस को भी बताया गया।

पीआरवी स्टाफः-

कमांडर - आरक्षी अरविंद द्विवेदी
पायलट – हो0गा0 दर्शन दुबे

(5). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के निर्देशन में गुमशुदा/अपहत की बरामदगी हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के क्रम में उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा थाना कोतवाली कर्वी द्वारा गुमशुदा बालक शोभित पुत्र रामनरेश निवासी कालका मन्दिर सीतापुर कोतवाली कर्वी को सकुशल परिजनों के सुपुर्द किया गया।

उल्लेखनीय है कि कल दिनाँक-22.08.2020 को लगभग शाम 07 बजे नीरज कुमार पुत्र रामध्वज निवासी पटेल नगर कस्बा व थाना मानिकपुर द्वारा उ0नि0 आनन्द मिश्रा थाना कोतवाली कर्वी को जरिए फोन सूचना दी गयी कि एक बालक जो मानसिक रूप से विक्षिप्त लग रहा है, अपना नाम पता नही बता पा रहा है यहा पर मौजूद है, लड़के की फोटो जरिए व्हाट्सएप भेजी गयी। उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा द्वारा त्वरित संज्ञान लेते हुए चौकी प्रभारी सीतापुर से सम्पर्क करते हुए फोटो भेजकर लड़के के बारे में बताया एवं अन्य लोगों से सम्पर्क किया। पुलिस टीम द्वारा कठिन परिश्रम करते हुए बालक शोभित के परिजनों का पता करने में सफलता प्राप्त की, जिसमे जानकारी मिली कि बालक शोभित कालका मन्दिर के पास कस्बा

सीतापुर का रहने वाला है। उसके परिजनों को थाना कोतवाली कर्वी में बुलाया गया, परिजनों द्वारा बताया गया कि बालक शोभित मानसिक रूप से विक्षिप्त है और लगभग 4-5 दिन से घर से लापता है, जिसको वे लोग खोज रहे थे। पुलिस टीम द्वारा बालक शोभित को उसके परिजनों के सुपुर्द किया गया।

सुपुर्दगी करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री आनन्द कुमार मिश्रा थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी राजमंगल बिंद

(6). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु चलाए जा रहे अभियान के क्रम में उ0नि0 श्री अजय कुमार जयसवाल चौकी प्रभारी गनीवा तथा उनकी टीम द्वारा हरदौली भाऊपुरवा तिराहा से अभियुक्त राजा सिंह पुत्र बन्धन सिंह निवासी ग्राम देवारी थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 600 ग्राम सूखा गांजा नाजायज के साथ गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त के विरूद्ध थाना राजापुर में मु0अ0सं0 146/2020 धारा 08/20 एनडीपीएस एक्ट पंजीकृत किया गया।

बरामदगीः-

600 ग्राम सूखा गांजा

बरामदगी/गिरफ्तार करने वाली टीमः-

1. उ0नि0 श्री अजय कुमार जयसवाल चौकी प्रभारी गनीवा
2. आरक्षी नईमुद्दीन
3. आरक्षी वृन्दावन

(7). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अंकित मित्तल के निर्देशन में श्री पंकज कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी एवं उनकी टीम द्वारा अर्जुनलाल दिवाकर की हत्या की घटना का खुलासा करते हुये घटना कारति करने वाले अभियुक्त 1. राजकुमार दिवाकर उर्फ राजू पुत्र अर्जुनलाल दिवाकर निवासी बरियांवा थाना चरवा जनपद कौशाम्बी (2) शैलेश चौधरी पुत्र बचान चौधरी निवासी लौगांवा थाना महेवाघाट जनपद कौशाम्बी को गिरफ्तार किया गया।

दिनाँक 18.08.2020 की सुबह सीतापुर किराये का मकान श्रीपाल पुत्र दुर्गा के यहां अर्जुनलाल दिवाकर का शव बरामद हुआ। पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण कर प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी को घटना का खुलाशा करते हुए अभियुक्तों की शीघ्र गिरफ्तारी हेतु निर्देश दिये गये थे। घटना के सम्बन्ध में मृतक के रिश्तेदार अनिल कुमार पुत्र छितानीलाल निवासी नौबस्ता थाना मऊ की तहरीर पर थाना कोतवाली कर्वी में मु0अ0सं0 423/2020 धारा 302 भादवि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया था। प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी के नेतृत्व में टीम ने सक्रिय होकर छानबीन की गयी। जिसमें दिनाँक-22.08.2020 को पुलिस टीम द्वारा सफलता प्राप्त करते हुए मृतक के पुत्र राजकुमार दिवाकर उर्फ राजू व उसके साढ़ू शैलेश चौधरी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्तों की निशादेही पर घटना के दिन दोनों अभियुक्तों

द्वारा पहने हुए गमछे व भर बांह की शर्ट जिस पर मृतक के खून के धब्बे लगे हुए बरामद किया गया। पूछताछ पर अभियुक्त राजकुमार ने बताया कि उसके पिता मृतक अर्जुनलाल दिवाकर के द्वारा खेत गहन रखने तथा मुझे हिस्सा न देने तथा लड़ाई झगड़ा करने के कारण मैने अपने साढ़ू शैलेश व उसके मित्र छोटू के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था।

बरामदगीः-

खून लगे हुए कपड़े

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1. श्री पंकज कुमार पाण्डेय प्रभारी निरीक्षक थाना कोतवाली कर्वी
2. आरक्षी अनुज यादव
3. महिला आरक्षी संगीता